

नफ़रत की घटना की रिपोर्ट कैसे करें:

आप नफ़रत की किसी घटना या अपराध की रिपोर्ट Hate Incident Support Service को गोपनीय रूप से 0845 38 99 528 या 0845 075 1021 पर कर सकते हैं। लाइन्स पर सोमवार से शुक्रवार तक 08:00 प्रातः से 20:00 सायं तक कर्मचारी होते हैं।

आप ऑन-लाइन भी रिपोर्ट कर सकते हैं:
www.westsussex.gov.uk/harmreduction

और आप नफ़रत की घटना के रिपोर्टिंग फ़ॉर्म की प्रतियाँ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं:
SussexHateIncidentReport@victimsupport.org.uk

Victim Support के साथ ही, आप ससेक्स पुलिस, नागरिक सलाह ब्यूरो, अपनी स्थानीय परिषद, आवास अधिकारी, स्कूलों या युवा कार्यकर्ताओं जैसी अन्य एजेंसियों के माध्यम से भी रिपोर्ट कर सकते हैं।



अन्य उपयोगी नंबर

Sussex Police: 0845 60 70 999

आपातस्थिति में डायल करें 999

ससेक्स में Victim Support: 0845 38 99 528

नफ़रत की घटनाओं की रिपोर्टिंग लाइन:
0845 075 1021

पश्चिमी ससेक्स में नफ़रत और पूर्वाग्रह के अपराध और घटनाएँ मंज़ूर नहीं की जाएँगी। मौन रहकर पीड़ित न हों।

हमारी पीड़ित सपोर्टलाइन **0845 30 30 900** अपराध से प्रभावित किसी भी व्यक्ति को जानकारी और सहायता देती है।

आप हमारे किसी भी फोन नंबर से पहले 18001 जोड़कर Text Relay का इस्तेमाल करके संपर्क कर सकते हैं।

Published by Victim Support
President HRH The Princess Royal

Victim Support, Hallam House,
56-60 Hallam Street, London, W1W 6JL
Telephone: 020 7268 0200 Fax: 020 7268 0210
www.victimsupport.org.uk

Charity registration: 298028 Company no: 2158780
Registered in England. Limited by guarantee.
Registered office as above.

November 2012



नफ़रत की घटनाएँ इनका समर्थन मत करें - इनकी रिपोर्ट करें

नफ़रत की घटनाओं/अपराधों के शिकार लोगों की सहायता करें



इसके साथ साझेदारी में

find the strength

Hate Incident Support Service क्या है?

Hate Incident Support Service का प्रबंध West Sussex Harm Reduction टीम के साथ साझेदारी में परोपकारी संस्था Victim Support द्वारा किया जाता है। हम उन लोगों को निजी और गोपनीय सहायता देते हैं, जिन्होंने इनका अनुभव किया है:

- नस्लवाद
- धार्मिक घृणा
- होमोफ़ोबिया
- ट्रांसफ़ोबिया
- विकलांगता-संबंधी भेदभाव।

हम आपको घटना के तुरंत बाद या बाद में दोनों स्थितियों में भावनात्मक सहारा और व्यावहारिक सहायता और सलाह दोनों दे सकते हैं।

हम कैसे सहायता कर सकते हैं:

हमारे द्वारा आपको दी जाने वाली सहायता के प्रकार में शामिल है:

- घटना के संबंध में आपके किसी सवाल पर या इस बारे में सहायता कि आपके पास क्या विकल्प हैं
- किसी से इस बारे में विश्वास के साथ बात करना कि क्या हुआ है (ज़रूरत होने पर हम दुभाषियों का इंतज़ाम कर सकते हैं)

- आपको पुलिस और अदालत की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना
- घटना के संबंध में आपको अन्य संगठनों के साथ व्यवहार करने में सहायता
- अदालत में सहायता अगर आपको गवाह के रूप में बुलाया जाता है
- सहायता के अन्य व्यावहारिक स्रोतों के साथ आपका संपर्क करवाना
- माता-पिता की बच्चों को प्रभावी ढंग से सहारा देने में सहायता करना अगर वे घटना से प्रभावित हुए हों।

जब आप सेवा से संपर्क करेंगे तो क्या होता है?

पीड़ित व्यक्ति, गवाह या कोई और नफ़रत की घटना की रिपोर्ट कर सकता है। आप या तो नफ़रत की घटना की रिपोर्टिंग भरकर (पीछे देखें) या 0845 38 99 528 पर हमारी पीड़ित देखभाल टीम को कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं।

सेवा के दो मुख्य लक्ष्य हैं:

- आपको घटनाओं को गोपनीय रूप से रिपोर्ट करने का मार्ग दिखाना
- आपको सपोर्ट प्राप्त करने में सहायता करना, अगर आपको इसकी ज़रूरत हो।

अगर आप हमें नफ़रत की घटना का रिपोर्टिंग फ़ॉर्म भेजते हैं और कहते हैं कि आप चाहते हैं कि हम आपसे संपर्क करें, तो हमारा समर्पित मामला-कार्यकर्ता या प्रशिक्षित स्वयंसेवक समर्थन कार्यकर्ताओं की हमारी टीम आपसे आपकी ज़रूरत की सहायता पर चर्चा करने के लिए संपर्क करेगी और सहायता का इंतज़ाम करेगी।

अगर आप हमारी पीड़ित देखभाल टीम को कॉल करना चुनते हैं, तो वे घटना का विवरण लेंगे और इस बारे में चर्चा करेंगे कि हम आपको क्या सहायता दे सकते हैं, अगर कोई हो।

किसी भी स्थिति में, हम आपका निजी विवरण आपसे पूछे बिना किसी और को नहीं देंगे।

सलाह के कुछ शब्द

अगर आप नफ़रत की घटनाओं का सामना कर रहे हैं तो खुद को ज़्यादा जोखिम में न डालने की कोशिश करें। अगर आप ज़िम्मेदार व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो सुरक्षित रूप से दूर जाने या ज़्यादा सार्वजनिक जगह पर जाने की कोशिश करें। अगर संभव हो, तो तिथियों और समय सहित सभी घटनाओं का रिकॉर्ड रखें। याद रखें कि किसी को बस इसलिए पीड़ित होने की ज़रूरत नहीं है कि वे कौन हैं और सहायता उपलब्ध है।